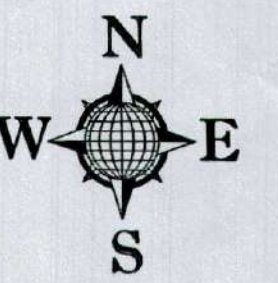


PROPOSED LAYOUT PLAN OF  
"THE PARK ROYAL"

IN KHASRA NO- 97, 98, 120/1, 147/120.  
AT VILLAGE-SHRIRAMPURA WAS MUKUNDPURA, TEH.-JAIPUR, JAIPUR



912  
B  
5.7.21

ZONAL ROAD 24.0 MT. WIDE

99

79

152/98

153/98

154/98

149/97

151/97

ROAD 12.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT. WIDE 155/147 ROAD 9.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT. WIDE

ROAD 12.0 MT. WIDE

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

अमीन  
जोन-12

- नोट
- कार्नेर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
  - आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 25.02.2021 को हो चुकी है।
  - योजना की भूमि में रा.भू.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राथित अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
  - टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 18 18ए, 36, 37, 58, 59, 80, 82, 83, 88 तक कुल भूखण्ड 10 कुल क्षेत्रफल 141.153 वर्गमीटर है, को जविषा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा करारकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
  - योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 299 वीं बैठक दिनांक 04.06.2021 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
  - योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत यू-1 (आवासीय) है एवं नगर निगम सीमा में स्थित है।
  - बीपीसी-एलपी की 299 वीं बैठक दिनांक 04.06.2021 की अनुपालना में मोबाइल टावर हेतु भूमि अन्य स्थल पर प्रस्तावित की गई है, जिसके अनुसार क्षेत्रफल विश्लेषण में आर्थिक संशोधन किया गया है।
  - योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
  - बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स नियमानुसार जविषा (जयपुर रोजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा जाना प्रस्तावित है।
  - बीपीसी (एलपी) के निर्णय की पालना में नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 08.03.17 के अनुसार 220 कवी एच.टी. लाइन में आर.ओ.डब्ल्यू 35.00 मीटर है, जिसमें से 18.6 मीटर की ईएचवी सेप्टी कोरिडोर में नो कन्स्ट्रक्शन जोन रखा जाता है एवं ईएचवी में सेप्टी कोरिडोर नो कन्स्ट्रक्शन-जोन के पश्चात् व आरओडब्ल्यू के मध्य सड़क व ग्रीन/पाक रखा गया है।

सहायक नगर नियोजक  
जोन-12

तहसीलदार  
जोन-12

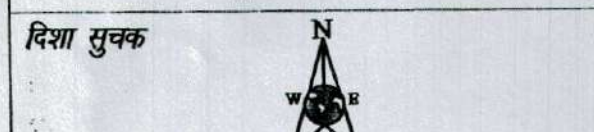
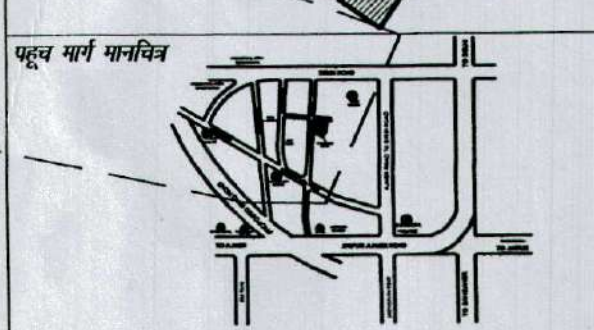
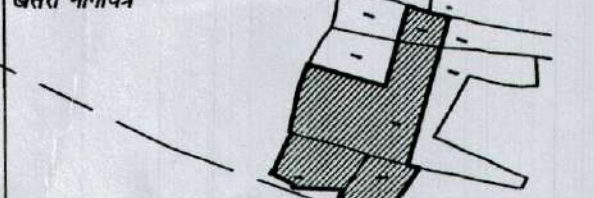
उपायुक्त  
जोन-12

वरिष्ठ नगर नियोजक  
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
बी.पी.सी. (एल.पी.)

| क्षेत्रफल विश्लेषण     |                                              |                      |             |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------|
| क्रमिक                 | भू-उपयोग                                     | क्षेत्रफल (वर्गमीटर) | प्रतिशत (%) |
| 1.                     | आवासीय                                       | 10989.62             | 55.43 %     |
| 2.                     | रिटेल कॉमर्शियल                              | 162.00               | 0.82 %      |
| 3.                     | पार्क                                        | 1052.85              | 5.31 %      |
| 4.                     | सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल                         | 60.87                | 0.31 %      |
| 5.                     | मोबाइल टावर                                  | 10.00                | 0.05 %      |
| 6.                     | एचटी लाइन 220 केवी सेप्टी कोरिडोर 18.00 मीटर | 1285.68              | 6.48 %      |
| 7.                     | सड़क                                         | 6265.98              | 31.60 %     |
| कुल योजना का क्षेत्रफल |                                              | 19827.00             | 100.00 %    |
| कुल आवासीय भूखण्ड - 90 |                                              |                      |             |
| रिटेल शॉप - 18         |                                              |                      |             |

ज.वि.प्रा.



मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार नू उपयोग  
आवासीय भूखण्डों की निर्माण विधि :-  
1. कुल आवासीय भूखण्ड = 90  
2. सुदूर अवसंश्लेषण भूखण्ड = S-18

AREA ANALYSIS :-

| S.No.          | LAND USED    | AREA IN (SQ.MTR.) | (%)      |
|----------------|--------------|-------------------|----------|
| 1.             | RESIDENTIAL  | 10989.62          | 55.43 %  |
| 2.             | RETAIL       | 162.00            | 0.82 %   |
| TOTAL = 1+2    |              | 11151.62          | 56.25 %  |
| 3.             | PARK         | 1052.85           | 05.31 %  |
| 4.             | H.T. LINE    | 1285.68           | 06.49 %  |
| 5.             | MOBILE TOWER | 10.08             | 0.05 %   |
| 6.             | S.W.M.       | 60.87             | 0.30 %   |
| 7.             | ROAD         | 6265.90           | 31.60 %  |
| TOTAL = 3 TO 7 |              | 8675.38           | 43.75 %  |
| SCHEME AREA    |              | 19827.00          | 100.00 % |

योजना की भूमि की संपूर्ण अधिपत्ति की मूल 80 ए. की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का उपयोग करने हेतु किया गया।  
योजना की भूमि भूमि अधिपत्ति में स्थित हो चुकी है।

नाम  
सहायक नगर नियोजक-  
बी.पी.सी. / जी. एल. पी. की बैठक संख्या  
की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

योजना का नाम-  
IN KHASRA NO-97, 98, 120/1, 147/120  
AT VILLAGE-SHRIRAMPURA WAS MUKUNDPURA, TEH.-JAIPUR, JAIPUR

जोन संख्या = 12

रैमना = 1:500

संश्लेषण  
नगर नियोजक

अति.संश्लेषण  
नगर नियोजक

वरिष्ठ  
नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण

CAD MAX CONSULTANCY PVT. LTD.  
301-022, Pritam Towers,  
Opp. Rajasthan Police Head Quarter,  
Lal Kothi Scheme, Jaipur  
Ph. - 9141-413111

